कार्यालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर

रिमाण्ड डयूटी संशोधित आदेश माह अप्रैल, 2024

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 15 (2) एवं 410 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुझ डॉ० लेखपाल शर्मा, आर.जे.एस. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया जाता है कि माह अप्रैल, 2024 के पूर्व रिमाण्ड आदेश क्रमांक– पीए/2024/109, दिनांक 03.04.2024 के जरिये दिनांक 10, 11, 13 व 14.04.2024 हेतु जैसलमेर मुख्यालय पर श्री रिछपाल सिंह गिला, अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर व पोकरण मुख्यालय हेतु श्री किशन सांदू, न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, सांकडा, पोकरण को रिमांड डयूटी हेतु किये जाने हेतु आदेशित किया गया था। परंतु उक्त दोनों न्यायिक अधिकारीगण श्री रिछपाल सिंह गिला, अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर व श्री किशन सांदू, न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, सांकडा, पोकरण का स्थानांतरण हो जाने के कारण एवं उनकी जगह नव–पदस्थापित न्यायिक अधिकारीगण के द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं करने के फलस्वरूप उपरोक्त पत्रांक में संशोधन करते हुए निम्नलिखित सूची में अंकित राजकीय अवकाशों के दिन जैसलमेर जिला न्यायक्षेत्र के वे मुख्यालय जिनका नाम सूचियों के ऊपर अंकित किया हुआ है, के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी कार्यों की सुनवाई, जिनमें जमानत, रिमाण्ड, ड्यूटी, मृत्युकालिक कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य होंगे, ऐसे प्रकरणों की सुनवाई करेंगे।

जैसलमेर मुख्यालय हेतु-

दिनांक	न्यायालय का नाम
10.04.2024 11.04.2024 13.04.2024 14.04.2024	गजेंद्र कुमार, अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर

पोकरण मुख्यालय हेतु-

दिनांक	न्यायालय का नाम
10.04.2024 11.04.2024 13.04.2024 14.04.2024	डॉ० अजय कुमार विश्नोई, अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर

नोट :-

यदि उक्त नव–पदस्थापित न्यायिक अधिकारीगण द्वारा इस अवधि में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया जाता है तो उक्त शेष दिवसों की रिमाण्ड डयूटी नव–पदस्थापित न्यायिक अधिकारीगण द्वारा ही की जावेगी। साथ ही

उक्त दिवसों के अतिरिक्त अन्य दिवसों (आदेश क्रमांक पीए/2024/109, दिनांक 03.04.2024 में वर्णितानुसार) की न्यायिक अधिकारियों की रिमाण्ड डयूटी यथावत रहेगी।

Lekh

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जैसलमेर

दिनांकः 09/4/2024

क्रमांकः PA/24/121

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है -

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जैसलमेर।

2. जिला पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि सभी आरक्षी केन्द्रों के थानाधिकारियों को जेसी/पीसी रिमांड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्यों के लिये उपर्युक्त तिथियों में नियत समयावधि में पहुंचने के लिये सूचित करें।

3. जिला आबकारी अधिकारी, जैसलमेर को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि जिले में कार्यरत वृत्त निरीक्षक/प्रहराधिकारी/प्रभारी अधिकारी आबकारी थाना को जेसी/पीसी रिमांड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्यों के लिये उपर्युक्त तिथियों में नियत समयावधि में पहुंचने के लिये सूचित करें।

4. डॉ श्री अजय विश्नोई, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पोकरण।

5. श्री सीताराम चौधरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर।

6. श्री रिछपालसिंह, अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर।

7. श्री किशन सांदू, न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, सांकड़ा, मुख्यालय पोकरण।

8. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पोकरण।

9. न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर।

10. अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर।

11. न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, सांकड़ा, मुख्यालय पोकरण।

12. सहायक निदेशक अभियोजन, जैसलमेर।

13. पुलिस कंट्रोल रूम, जैसलमेर।

14. अध्यक्ष अभिभाषक परिषद, जैसलमेर।

15. उपकारागृह, जैसलमेर।

16. प्रभारी अधिकारी वायरलेस, जैसलमेर को प्रतिलिपि भेजकर लेख है कि इस मैसेज को सभी आरक्षी केन्द्रों को सूचित करें।

17. सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा, जैसलमेर को प्रतिलिपि भेजकर लेख है कि वह इस मैसेज को जिला न्यायालय की बेबसाइट पर अपलोड करें।

18. कार्यालय प्रति।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जैसलमेर